सरकार आमजन की समस्या निराकरण करने के लिए कृत संकल्पित : यूडीएच मंत्री

- स्वायत्त शासन मंत्री ने कहा अभियान में प्राप्त सभी आवेदनों का समयबद्ध होगा निस्तारण

भरतपुर । स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि सरकार आमजन की समस्याओं का निराकरण कर पात्रजनों को योजनाओं का लाभ दिलाने कृत संकल्पित है। सेवा शिविरों के माध्यम से घर बैठे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आमजन को विशेष छूट देते हुए समस्याओं निराकरण कर राहत प्रदान की जा रही है।

स्वायत्त शासन मंत्री गुरूवार को शहरी सेवा शिविर के तहत जवाहर नगर स्थित अम्बेड़कर सामुदायिक भवन में आयोजित समारोह में आमजन को आवासीय पट्टे एवं विभिन्न योजनाओं के स्वीकृति पत्रों का वितरण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में आमजन को त्वरित लाभ देते हुए समस्याओं का समयबद्ध निराकरण किया जा रहा है। प्रदेश विकाशील से विकसित राजस्थान की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से आमजन को मूलभूत सुविधाओं की समस्या निराकरण एवं विभिन्न योजनाओं में पात्रता के आधार पर लाभ प्रदान करते हुए घर बैठे राहत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पारदर्शिता रखते हुए सभी आवेदनों को ऑनलाईन किया गया है जिससे आमजन ई-मित्र अथवा अपने स्मार्टफोन के माध्यम से भी घर बैठे आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान मूलभूत सुविधाओं से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण कर बिजली, पानी, रोशनी एवं सफाई सम्बन्धित कार्य भी वार्डों में जाकर किये जा रहे है।

भरतपुर में स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पट्टे वितरित किये।

स्वायत्त शासन मंत्री ने कहा कि सेवा शिविरों में कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित नही रहेंगा, आवश्यकता पड़े पर 17 अक्टूबर के बाद प्राप्त आवेदनो ऑनलाईन करते हुए सम्बन्धित निकायों को समयबद्धता के साथ निराकरण के निर्देश दिये जाऐगे। उन्होंने कहा कि दीपावली पूर्व प्रदेश भर में सभी निकायों में रोशनी एवं सफाई व्यवस्था विशेष रूप से करने के निर्देश दिये गये है। उन्होंने पट्टा प्राप्त करने वाले एवं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि स्वस्थ्य एवं स्वच्छ प्रदेश के निर्माण में सक्रियता से भागीदारी निभाते हुए अपने आपस-पास गंदगी नहीं होने दे। उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान में भागीदार बनने का आव्हान किया।

जिला कलक्टर कमर चौधरी कहा कि सेवा शिविरों में किसी भी पात्र व्यक्ति को निराश नहीं होने दिया जाएगा। पात्रता के आधार पर पारदर्शिता से लाभ प्रदान किया जाएगा। उन्होंने आश्वास्त किया कि सरकार की मंशा के अनुरूप शिविरों में जनसमस्याओं को मौके पर निराकरण कर आमजन को राहत दी जाएगी।

आयुक्त नगर निगम श्रवण विश्नोई ने शिविरों के दौरान सरकार के द्वारा दी गई विशेष छूट से आमजन को मिल रही राहत के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आवासीय पट्टे, ऋण योजनाओं की स्वीकृति एवं समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। उन्होंने शिविरों की प्रगति के बारे में विस्तार से बताया। प्रदेश प्रवक्ता शैलेष कौशिक ने सेवा शिविरों को आमजन के लिए राहत भरा कदम बताया।

उपखंड अधिकारियों का स्वागत व विदाई समारोह आयोजित

- नवपदस्थापित उपखंड अधिकारी पावटा साधना शर्मा का पुष्प गुच्छ भेंटकर गरिमा पूर्ण स्वागत किया

पावटा। अभिभाषक संघ पावटा की ओर से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें उपखंड अधिकारियों का स्वागत और विदाई कार्यक्रम संपन्न हुआ। समारोह में उपखंड अधिकारी कपिल कुमार उपाध्याय को उनके स्थानांतरण पर विदाई दी गई जबकि नवपदस्थापित उपखंड अधिकारी पावटा साधना शर्मा का पुष्प गुच्छ भेंटकर गरिमा पूर्ण स्वागत किया गया।

कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कपिल कुमार उपाध्याय के कार्यकाल की सराहना करते उनके योगदान को यादगार बताया नवनियुक्त उपखंड अधिकारी साधना शर्मा को अधिकताओं ने सहयोग और सौहार्द का विश्वास दिलाया। इस दौरान अभिभाषक संघ पावटा अध्यक्ष एड. ओमप्रकाश सैनी समेत उपाध्यक्ष एड.अनिल सिंह शेखावत, सचिव एड. सुरेंद्र सिंह शेखावत, संयुक्त सचिव एड. मुकेश कुमार यादव, मीडिया प्रभारी एड.हेमंत कुमार मौर्य, कोषाध्यक्ष एड. मुकेश यादव, पुस्तकालयाध्यक्ष एड. कुलदीप पटेल, संगठन मंत्री जय किशन सोनी, दिलीप सिंह शेखावत, विष्णु कुमार शर्मा, नरेश कुमार यादव, लोकेश कुमार शर्मा, मुकेश कुमार स्वामी, अशोक सिंह गुर्जर, हजारी लाल यादव, घनश्याम शर्मा, सीताराम सैनी, गौरव शर्मा, कमलकांत शर्मा, महेश शर्मा, दिनेश दायमा, मेहर सिंह जाट, धर्मपाल यादव, सुरेश कुमार धानका, हरि सिंह यादव, किशोरी लाल यादव, बुद्धाराम यादव, रिंकू गुर्जर, स्टांप वेंडर श्यामसुंदर शर्मा, महेंद्र यादव, गुल्लाराम यादव, विसंबर सैनी, उमेश चौधरी, सुभाष यादव, सुल्तान यादव, महेंद्र सिंघल, सुरेश गुर्जर, सुनील अग्रवाल, सूर्यकांत सैनी, टीटू अग्रवाल, रामसिंह सैनी सहित अधिवक्ताओ ने समारोह की गरिमा बढ़ाई। अभिभाषक संघ पावटा ने आगंतुक अतिथियों का आभार जताया।

कुपोषण की रोकथाम के लिए किया जागरूक

- राष्ट्रीय पोषण सप्ताह को लेकर हुई कार्यशाला

निवाई। पंचायत समिति के सभागार में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के उपलक्ष्य में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें बंधन संस्था के कार्यकर्ता व स्वास्थ्य सहायिकाओं ने भाग लिया। संस्था के सहायक प्रबंधक गिरिश तिवारी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए बताया कि बंधन संस्था कोटक महिंद्रा बैंक के वित्तीय सहयोग से निवाई ब्लॉक में कुपोषण की रोकथाम हेतु सतत प्रयासरत है। संस्था समुदाय में जागरूकता फैलाने के लिए नियमित बैठकों, प्रशिक्षणों एवं एनीमेशन वीडियो का उपयोग करके आमजन को जागरूक करने का कार्य रही है।

उन्होंने बताया कि इन प्रयासों का उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाना तथा पोषण संबंधी व्यवहारों में सकारात्मक बदलाव लाना है। बीसीएमओ दीपेंद्र पांचाल, सीडीपीओ संगीता दीपक एवं बीपीएम जयदीप नरूका ने मंच साझा किया और विस्तृत जानकारी दी। बीसीएमओ ने शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को रोकने में पोषण की भूमिका की जानकारी देते हुए संतुलित आहार, स्तनपान व टीकाकरण की महत्ता समझाई। सीडीपीओ ने आंगनबाड़ी स्तर पर उपलब्ध पोषण सेवाओं, पूरक आहार योजनाओं व महिलाओं एवं बच्चों की देखभाल पर विस्तार से चर्चा की। बीपीएम ने पोषण सुधार हेतु समुदाय, स्वास्थ्यकर्मी एवं संस्थाओं के आपसी सहयोग की आवश्यकता पर जोर देते हुए टीम को मिलकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

कार्यशाला में एनआरसी की सेवाओं, कार्यप्रणाली और गंभीर कुपोषित बच्चों के उपचार में इसकी भूमिका के बारे में उपस्थितजनों को अवगत कराया। कार्यक्रम के अंत में क्षेत्रीय समन्वयक लक्ष्मीनारायण कहार ने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों एवं सहयोगी संस्थाओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन से समुदाय में पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होंगे।

उद्घाटन 13 को

कोटपूतली। कस्बे के डाबला रोड़ स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में आगामी 13 अक्टूबर को सिंदूर स्मारक वाटिका का उद्घाटन वन व पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के मुख्य आतिथ्य एवं विधायक हंसराज पटेल की अध्यक्षता में किया जायेगा।

जिसके बाद वृक्षारोपण भी किया जायेगा, जिसमें वाटिका में सिंदूर के पौधे लगाये जायेगें। कार्यक्रम के आयोजक समाजसेवी रतन लाल शर्मा ने बताया कि यह स्मारक नारी शक्ति भारतीय संस्कृति व परम्परा के सम्मान में बनाया गया हैं।

जिला कलक्टर ने टोडा जयसिंहपुरा में ग्राम सेवा शिविर का किया निरीक्षण

- ग्रामीणों से शिविर की व्यवस्थाओं एवं उनकी समस्याओं के समाधान का लिया फीडबैक -टहला तहसील का किया निरीक्षण, आमजन की सुनी परिवेदनाएं

अलवर । जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने आज राजगढ क्षेत्र का दौरा कर ग्राम पंचायत टोडा जयसिंहपुरा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं शिविर में आए हुए आमजन से शिविर में प्रदान की जा रही सुविधाओं व सेवाओं का फीडबैक भी लिया तथा टहला तहसील का निरीक्षण कर आमजन की परिवेदनाएं सुनकर उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिये।

जिला कलक्टर ने शिविर में निरीक्षण कर विभागवार व्यवस्थाओं का जायजा लेकर आमजन को दी जाने वाली सेवाओं की प्रक्रिया आदि का अवलोकन किया। उन्होंने शिविर प्रभारी को निर्देश दिये कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार शिविर के दौरान आमजन को दी जाने वाली सेवाएं मौके पर ही दी जाए। उन्होंने लम्बित नोटिसों की तामील एवं फार्मर रजिस्ट्री को पूर्ण कराने, रास्ते खोलने, आपसी सहमति से विभाजन एवं नामांतरण, किसान गिरदावरी ऐप द्वारा गिरदावरी करवाने, मूल निवास बनाने आदि की प्रगति का अवलोकन कर सभी कार्यों को यथासंभव मौके पर ही सम्पादित करने के निर्देश दिये।

कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने आज राजगढ क्षेत्र का दौरा कर ग्राम पंचायत टोडा जयसिंहपुरा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

साथ ही केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं जिनमें पं. दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव के तहत दस हजार और गांवों में बीपीएल परिवारों का सर्वे करने, पीएमजेवाई कार्ड बनाने व वितरण करने, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना से लाभांवित करावे। शिविर स्थल पर उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

सेवा शिविर में योजनाओं के पात्र जनों को मौके पर मिला लाभ

पावटा। आमजन की समस्याओं के निराकरण एवं पात्रता के आधार पर योजनाओं का लाभ लेने के लिए चलाये जा रहे ग्रामीण सेवा शिविरों के तहत बुधवार को पावटा प्रागपुरा नगरपालिका क्षेत्र के राजस्व ग्राम बड़नगर में शिविर आयोजित किया गया। जिसमें जिला स्तरीय अधिकारियों ने शिरकत कर पात्र जनों को योजनाओं का मौके पर लाभ दिलाया।

वही ग्रामीणों ने पालिका ईओ फतेह सिंह मीणा को नगरपालिका क्षेत्र के राजस्व ग्राम बड़नगर में निवास करने वाली जनता की मूलभूत व नगरीय निकास समस्याओं व विकास की मांगो को लेकर ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन में पूर्व सरपंच रामकरण यादव बताया कि ग्राम बड़नगर में ज्यों चारागाह भूमि है उस पर जो आबादी बसी हुई है उसे आबादी भूमि में परिवर्तित किया जाए व 80-90 के दशक में ग्राम पंचायत ज्यों पट्टे जारी किए गए है उनका नवीनीकरण किया जाए।

ग्रामीणों ने समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा ।

ग्राम बड़नगर में मुख्य आबादी के चारो तरफ जितने भी मकान बने हुए है, जितने भी लोग बसे हुए है उनको आबादी भूमि में परिवर्तित किया जाए। ग्राम बड़नगर की मुख्य आबादी से ज्यों अटल पथ स्वीकृत करवाया गया है बड़नगर स्टैंड से भांकरी तक इसमें आवश्यकता अनुसार लेवल के हिसाब से नालियों व बारिश के पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए। ग्राम बड़नगर में दर्जियों के मोहल्ले की तरफ से आने वाले अटल पथ के रास्ते को नीचा किया जाए।

खोया पाया

वैभव नगर विकास समिति जयपुर का सहकारी समिति का मूल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नं. 267/13-14 मेरे घर से ऑफिस के बीच खो गया है मिलने पर सूचित करें गजेन्द्र सिंह अध्यक्ष वैभव नगर विकास समिति 9414013341

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

कार्यालय उपायुक्त सिविल लाईन जोन, नगर निगम जयपुर हेरिटेज
क्रमांक- एफ-(80) सि.ला.जो./उपा./ननिजहै/2025/1770 दिनांक: 05.10.2025

अनापत्ति आमंत्रण सूचना

भूखण्ड संख्या 33 ए संजय कॉलोनी आर.पी.ए रोड जयपुर का पट्टा क्षेत्रफल 132.41 व.ग. का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2002 मे श्रीमती द्रोपदी शर्मा पत्नी स्व. श्री बनवारी लाल शर्मा के नाम से जारी है। तत्पश्चात् श्रीमती द्रोपदी शर्मा पत्नी स्व. श्री बनवारी लाल शर्मा का मृत्यु पश्चात् तत्पश्चात् जरिये नोटरी वसीयत द्वारा श्रीमती नीलिमा तिलक पत्नी श्री प्रसन्न तिलक के नाम किया गया है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत निर्धारित अण्डरटेकिंग, नोटरी वसीयत के आधार पर उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 132.41 व.ग. का नाम हस्तानान्तरण श्रीमती नीलिमा तिलक पत्नी श्री प्रसन्न तिलक के नाम से जारी किया जाना है। किसी संस्था, फर्म, कम्पनी व किसी भी व्यक्ति को इस नाम हस्तानान्तरण बाबत में आपत्ति के प्रकाशन तिथि से 07 दिवस के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा की किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म को कोई आक्षेप नहीं है। और मामलें का तदनुसार निपटारा किया जाएगा।

उपायुक्त, सिविल लाईन जोन, नगर निगम जयपुर हेरिटेज

राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि., जयपुर

5वी व 6वी मंजिल नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम सर्किल, जयपुर
Phone: 0141-2741805 Email: rsehfjaipur@yahoo.com
क्रमांक-1076/25 दिनांक- 08.10.2025

आम सूचना संघ की आवासीय योजना कमला नेहरू नगर, अजमेर रोड, जयपुर का भवन संख्या 2-ज-5 श्रीमती जनक महेन्द्रा पुरी को आवंटित किया गया था। श्रीमती जनक महेन्द्रा पुरी का दिनांक 01.07.2024 को एवं उनके पति श्री सत्यपाल पुरी पुत्र श्री मोहन लाल पुरी का दिनांक 14.06.2006 कोस्वर्गवास हो जाने के पश्चात उनकी दो पुत्रियो श्रीमती सुनीता पत्नि श्री अजय कुमार चड्ढा एवं श्रीमती सुधाशंनी पत्नि श्री आलोक नांगिया द्वारा उनके माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत कर उनके नाम संयुक्त रूप से उक्त भवन ट्रांसफर करने हेतु आवेदन किया गया है। जिस किसी को उक्त भवन के हस्तान्तरण पर आपत्ति हो तो संघ कार्यालय में 15 दिवस में प्रमाण सहित प्रस्तुत करें, अन्यथा भवन संख्या 2-ज-5, कमला नेहरू नगर, अजमेर रोड, जयपुर को संयुक्त रूप से श्रीमती सुनीता पत्नि श्री अजय कुमार चड्ढा एवं श्रीमती सुधाशंनी पत्नि श्री आलोक नांगिया के नाम हस्तान्तरण कर दिया जावेगा।

(योगेश शर्मा) प्रबंध निदेशक
राजस्थान राज्य सहकारी, आवासन संघ लि., जयपुर

कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर-15)
(राजस्व-द्वितीय प्रकोष्ठ)
क्रमांक-एफ-6() उपा.राज-द्वितीय(सा.प्र.)/ननिज/2025/207 दिनांक- 06.10.2025

सार्वजनिक सूचना

मूल भूखण्ड संख्या सी-35, मोती डूंगरी योजना, जयपुर का अर्वन इम्प्रूवमेंट बोर्ड, जयपुर द्वारा श्री सम्पत लाल जोशी के नाम से क्षेत्रफल 666.6 वर्गगज़ भूमि का आवंटन किया गया था। दिनांक 21.10.1991 को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा भूखण्ड संख्या सी-35 मोती डूंगरी योजना, जयपुर क्षेत्रफल 666.6 वर्गगज श्री सम्पत लाल जोशी पुत्र श्री राम किशन जोशी के नाम से पट्टा जारी किया गया। दिनांक 04.11.2019 को श्री सम्पत लाल जोशी पुत्र स्व. श्री रामकिशन जोशी द्वारा भूखण्ड संख्या सी-35 मोती डूंगरी योजना, तिलक नगर, जयपुर क्षेत्रफल 666.66 वर्गगज़ की वसीयत अपने छोटे पुत्र श्री जगमोहन जोशी के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयतनामा का निष्पादन किया गया। दिनांक 26.03.2022 को श्री सम्पत लाल जोशी की मृत्यु हो गई। श्री सम्पत लाल जोशी की मृत्यु उपरान्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड पट्टे की प्रति, रजिस्टर्ड वसीयतनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र, अण्डरटेकिंग एवं अन्य दस्तावेजो के आधार पर उक्त भूखण्ड का नगर निगम ग्रेटर, जयपुर द्वारा श्री जगमोहन जोशी पुत्र स्व. श्री सम्पत लाल जोशी के पक्ष में क्षेत्रफल 666 वर्गगज़ का ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण जारी किया जाना है। इस ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, राजस्व-द्वितीय) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

उपायुक्त (राजस्व-द्वितीय)
नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम सं. 01 स्थान साँभर लेक
संजू चौधरी विरुद्ध विनोद चौधरी
वाद/प्रार्थना पत्र धारा 13A H.M. Act
प्रार्थना-पत्र संख्या - 51सन् 2025

नाम विनोद चौधरी उम्र 26 साल पुत्र सीताराम जाति जाट पता कान्यावास पोस्ट जयरामपुरा थाना हरमाड़ा तहसील आमेर जिला जयपुर राजस्थान राज.।

उक्त प्रार्थीया ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि

अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 18 माह 11 सन् 2025 को 10.00 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश को सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।

यह आज ता. 08 माह 10 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मोहर अदालत

आज्ञा से-अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम सं.01 सांभरलेक जिला जयपुर

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगणों ने सूरजपोल गेट गृह विकास सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर रजि. 2235/L की आवासीय योजना जो कि (नई का नाथद्यारा) धूलागोड़ वासखोह बस्सी, जयपुर में स्थित है। जिसमें प्लाट नम्बर 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27 कुल प्लाट 14 कुल क्षेत्रफल 7800.81 वर्गगज़ है। जिस पर मेरे अभिभाष्यगण आज दिनांक तक मालिक व काबिज चले आ रहे है। इन प्लाटो के संबंधि में पूर्व में इकरारनामा महेश अग्रवाल जयपुर से किया गया था। महेश अग्रवाल द्वारा इकरारनामा की शर्तो की पालना नही किये जाने के कारण इकरारनामा पूर्व मे ही निरस्त किया जा चुका है। आज इन समस्त प्लॉटो का महेश अग्रवाल व इसके वारिसान का कोई संबंध नही है। इन प्लॉटो के संबंधि यदि कोई इन प्लॉटो को अपना बताकर बैचान व अन्य कोई कार्यवाही करता है तो वह मेरे अभिभाष्यगणो के विरूद्ध शून्य होगी। यदि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति या उज्र हो तो मेरे कार्यालय में 7 दिवस मे मय दस्तावेज सम्पर्क करें।

दिनांक-09.10.2025 (श्रीनाथ तिवारी) एडवोकेट
मोबाईल नं. 9829005189

कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज
क्रमांक: 1246 प्रारूप-13 (नियम 13(1) देखिए)। दिनांक: 09.10.2024
सूचना प्रेषिति - द्वारकानाथ पुत्र गोपीनाथ हिरणा पूर्ण।
विषय:- भूमि में के अधिकारों हित के पर्यवसान की सूचना।

अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि खसरा संख्या 348, रकबा 0.0506 खाता संख्या 10 और पुराना खाता संख्या 11 भूमि किस्म भूमि ज. चारागाह (क्षेत्रफल) लगान ज. चारागाह 0.0506 एवं खसरा नं. 349, रकबा संख्या 0.0506 किस्म भूमि गै. मु सड़क ग्राम-हथरोई, तहसील जयपुर, जिला जयपुर में स्थित भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की कालावधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग में आपके अधिकार/हित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क की उप धारा (8) के अधीन पर्यवसित किए जाने के दायी है। अतः इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि सूचना की प्राप्ति की तारीख से 7 दिन के भीतर-भीतर कारण बताएं कि क्यों न उक्त भूमि में आपके अधिकारों और हित को पर्यवसित कर दिया जाए और इसलिए क्यों न भूमि को राज्य सरकार में समस्त विल्लंगामों से मुक्त निहित किया जा सके। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 09.10.2025 को जारी की जाती है।

प्राधिकृत अधिकारी/उपायुक्त
किशनपोल जोन नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-तृतीय
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर
क्रमांक-3530 दूरभाष संख्या-0141-4901853 दिनांक-8/10/25

आम जाहिर सूचना राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या- 3-ब-6, योजना जवाहर नगर जयपुर, क्षेत्रफल 91.5 वर्ग मीटर का आवंटन कुमारी कृष्णा चतुर्वेदी पुत्री नवल किशोर को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 16992 दिनांक 01.01.1983 जारी किया गया था। उनके द्वारा आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर प्रथम में दिनांक 28.07.1989 को करवाया गया। श्रीमती कृष्णा चतुर्वेदी की मृत्यु दिनांक 25.09.2024 को हो जाने के कारण श्री अतुल चतुर्वेदी पुत्र श्री कृष्ण गोपाल चतुर्वेदी के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र एवं अपंजीबद्ध वसीयतनामा की छाया प्रति एवं वसीयतनामा में अंकित गवाहो का शपथ पत्र एवं पहचान की छाया प्रति प्रस्तुत कर उक्त वास का नाम प्रतिस्थापन अपने पक्ष में करने का निवेदन किया गया है। अत उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवे, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्री अतुल चतुर्वेदी पुत्र श्री कृष्ण गोपाल चतुर्वेदी के पक्ष में उक्त आवास के नाम प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी।

सम्पदा प्रबंधक, वृत्त तृतीय, रा.आ. मण्डल, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक:7658 जाहिर आम-सूचना दिनांक:09.10.2025

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास / फ्लैट संख्या 81/90 (LIG) का आवंटन कुमारी सुषमा नरूला पुत्री श्री जगन्नाथ नरूला को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1096 दिनांक 29-06-1998 को जारी किया गया था। जिसका नियमितिकरण पत्र क्रमांक 705 दिनांक 03-07-2004 के द्वारा श्रीमती कमला जागेटिया पत्नी श्री सत्यनारायण जागेटिया के पक्ष में किया गया। इनके पक्ष में पंजीयन पत्रों निष्पादन दिनांक 13.08.2021 को कर दिया गया । श्रीमती कमला जागेटिया की मृत्यु दिनांक 15.09.2021 को हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री अवनीन्द्र माहेश्वरी पुत्र श्री सत्यनारायण जागेटिया द्वारा आवासन मण्डल मे पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं । अतः उक्त आवास का हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही हैं, श्री अवनीन्द्र माहेश्वरी पुत्र श्री सत्यनारायण जागेटिया का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबन्धक, राज. आवा. मण्डल वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक:7470 जाहिर आम-सूचना दिनांक:29.09.2025

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 22/A1/28 (MIG-A), (एरिया 97.920 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री नवीन सक्सैना पुत्र स्व. श्री महेन्द्र कुमार सक्सैना को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 643 दिनांक 07.06.2006 को जारी किया गया। श्री नवीन सक्सैना के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 24.11.2006 को उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री नवीन सक्सैना द्वारा श्री गिरिराज प्रसाद शर्मा पुत्र श्री कैलाश चन्द शर्मा को दिनांक 25.11.2006 को मुख्यत्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री गिरिराज प्रसाद शर्मा द्वारा मुख्यत्यारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 14.12.2006 के द्वारा श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री किशन चन्द को विक्रय कर उप पंजीयक-सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। श्री प्रदीप कुमार के आवेदन पर कार्यालय आदेश क्रमांक 7148 दिनांक 04.11.2019 द्वारा नाम दर्ज किया गया। श्री प्रदीप कुमार द्वारा उक्त आवास को दिनांक 23.12.2019 के द्वारा श्रीमती हेमलता सिनसिनवार पत्नी श्री भूपेन्द्र सिंह को विक्रय कर उप पंजीयक - चतुर्थ, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। क्रेता / क्रेती श्रीमती हेमलता सिनसिनवार पत्नी श्री भूपेन्द्र सिंह द्वारा आवासन मण्डल में उक्त विकसित भूखण्ड के रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। अतः उक्त आवास के हस्तानान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही हैं, श्रीमती हेमलता सिनसिनवार पत्नी श्री भूपेन्द्र सिंह का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबन्धक वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

आम सूचना दिनांक : 09.10.2025

मिन अभिभाष्यगण बबल कुमार, लालचन्द, हरीसिंह पुत्रान श्री घनश्याम, निवासीगण ग्राम नेष्टा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1705 रकबा 5.2300 हैक्टेयर में हिस्सा 1/2 भाग, जो ग्राम नेष्टा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है, को बेचने का इकरारनामा दिनांक 28.09.2024 को श्री रोहन चौधरी पुत्र श्री धर्मपाल चौधरी, निवासी-महादेव प्रोपर्टी, इन्द्रा पैट्रोल पम्प के पास, मेन डिग्गी रोड, ग्राम नवलमपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर से किया था। उक्त रोहन चौधरी द्वारा मिन अभिभाष्यगण के साथ छल व धोखो से इकरारनामें का पेज नंबर 2 बदल दिया एवं उसमें नगद चार करोड़ रूपये देने व एक करोड़ रूपये की राशि का चैक देने के तथ्य गलत अंकित करा दिये। इकरारनामे में जो समय सीमा भुगतान की थी, उसका भी उल्लंघन कर दिया, इस पर मिन अभिभाष्यगण ने रोहन चौधरी को दिनांक 17.09.2025 व 25.09.2025 को विधिक नोटिस अपने अधिवक्ता से प्रेषित करवाकर उक्त इकरारनामा को निरस्त कर दिया। अब रोहन चौधरी का मिन अभिभाष्यगण की भूमि से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति/